



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

**अपील संख्या: - 1799/2018**

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
शंकरलाल खण्डेलवाल गंज थाने के सामने] गंज, Ajmer, Rajasthan		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं भू-प्रबंध अधिकारी भू-प्रबंध विभाग Jaipur

**द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**

**निर्णय**

**दिनांक : 11/04/2018**

1. अपीलार्थी की ओर से उनके पुत्र श्री दिनेश खण्डेलवाल, उपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री राजकुमार जैन, वरिष्ठ सहायक, उपस्थित।
3. मैंने उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 19-7-17 के द्वारा ई.डी.एम. मशीन से जमीनों की नापजोख के लिए वर्ष 2014 व 2016 में जो अवधि व दर की सूची, मशीन किस कम्पनी से खरीदी गई, मशीन को संचालित करने वाले कर्मियों की सूची, आदि 11 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान अपीलार्थी ने निवेदन किया कि उन्हें अभी तक पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है, अतः सूचना दिलवाई जावे। प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को उपलब्ध सूचना पत्र दिनांक 5-9-17 से प्रेषित की जा चुकी है।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 22-3-18 मय संलग्नक प्रस्तुत कर प्रति अपीलार्थी को पृष्ठांकित की है से प्रत्यर्थी के पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।
7. अपीलार्थी ने प्रतिक्रिया दिनांक 11-4-18 प्रस्तुत कर प्राप्त सूचना से असंतोष व्यक्त किया है एवं निवेदन किया है कि उन्हें पूर्ण सूचना दिलवाई जावे।
8. प्रत्यर्थी द्वारा पत्र दिनांक 5-9-17 से बिन्दुवार विनिश्चय/सूचना का प्रेषण किया गया है परन्तु अपीलार्थी का आक्षेप है कि उन्हें बिन्दु संख्या 3 की अधूरी सूचना एवं बिन्दु संख्या 4 एवं 5 के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

9. अपीलार्थी की प्रतिक्रिया एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की भावना एवं उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में प्रत्यर्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि आदेश प्राप्ति के 21 दिवस में अपीलार्थी को पंजीकृत पत्र द्वारा एक निश्चित दिनांक, समय व स्थान पर सूचना से सम्बन्धित अभिलेखों के अवलोकन हेतु आमंत्रित कर लें। अपीलार्थी के अभिलेखों के अवलोकनोपरान्त उनके द्वारा चिन्हित एवं नियमानुसार देय सूचना नियमानुसार शुल्क प्राप्त कर अधिप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर उपलब्ध करा दें।
10. अस्तु, वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।
11. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
12. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)  
मुख्य सूचना आयुक्त